


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

08AD 986089



निर्वाचनों का संचालन नियम 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

(प्रारूप 26)

(नियम 4क देखिए)

कानपुर-चुनाव स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से

विधान परिषद

के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग - अ

मैं आशीष कुमार पाण्डेय पुत्र श्री सुशील कुमार पाण्डेय, आयु 30 वर्ष, जो कानपुर का निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ शपथपत्र पर निम्नलिखित कथन करता हूँ:

- (1) मैं एक अभ्यर्थी हूँ जिसे निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ।
- (2) मेरा नाम 213-सीसामाझ विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कम संख्या 913 पर भाग सं 19 में प्रविष्ट है।
- (3) मेरे मोबाइल नं 9452310911 और 9554407748 है और ई-मेल आई.डी. centumknp@gmail.com है।

Sworn before me this day of 13/01/17
by Sri... Ashutosh Kumar Pandey
Contents of this affidavit have been read
over and explained to me and I have signed
Verified by Shri...
Govt. Notary R.S. Nigam

P.T.O.

Ashutosh
Kumar Pandey

क्रम सं.	नाम	पी ए एन (स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके आय-कर विवरणी में लिए अंतिम आय-कर दर्शाई गई कुल आय विवरणी फाइल की गई है (रुपये में)
1.	स्वय आशीष कुमार पाण्डेय	AUE PP 8031A	2016-2017 Rs.- 2,66,619
2.	पत्नी / पति	लागू नहीं होता	
3.	आश्रित-1	लागू नहीं होता	
4.	आश्रित-2	लागू नहीं होता	
5.	आश्रित-3	लागू नहीं होता	

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेंगा। करेगी। :

(क)	संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण विवरण के साथ मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं	लागू नहीं होता
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपि किया गया है।	लागू नहीं होता
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आवेदन तारीख।	लागू नहीं होता

Abhishek

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

(घ)	न्यायालय जिसने आरोप विचरित किए हैं	लागू नहीं होता
(ङ)	तारीख जिस पर आरोप विचरित किए गए	लागू नहीं होता
(च)	क्या सभी या किसी कार्यवाही पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है।	लागू नहीं होता

(II) निम्नलिखि मामले मेरे विरुद्ध लंबित हैं, जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है अ ऊपर म द (६) में लिखित मामलों के अलावा :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	स्पेशल सी0जे0एम0 कानपुर नगर मु0 स0- 8525, सन् 2013 19/12/2013 को संज्ञान लिया
(ख)	ममलों का व्यौरा जिनमें न्यायालयों ने संज्ञान लिया है, अधिनियमों की धाराओं और अपराधों का विवरण जिनमें संज्ञान लिया गया है	स्टेट बनाम आशीष पाण्डेय आदि धारा-153क व 7सी0एल0ए0 थाना-कोतवाली, कानपुर नगर
(ग)	उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई, अपील पुनरीक्षण के लिए आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई है), के व्यौरे	कुछ नहीं

(6) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न किसी अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडादिष्ट नहीं किया गया है।

यदि अनियाकी उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया या दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में, मुझे न्यायालय द्वारा सिद्धदोष और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(क)	संबंधित मामलों के अधिनियम (अधिनियमों), धारा (धाराओं) का व्यौरा और अपराधों का वर्णन जिनके लिए सिद्धदोष किया गया	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला सं. और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं होता
(ग)	अधिरोपित दड	लागू नहीं होता
(घ)	क्या सिद्धदोष आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हैं, तो अपील का व्यौरा और उसकी वर्तमान प्रायस्थिति :	लागू नहीं होता

(7) यह कि मैं अपनी पत्नी/पति और आश्रितों की आस्तियों (स्थाई और स्थाई आदि) का व्यौरा यहां नीचे देता हूँ :

लागू नहीं होता

क. जंगम संपत्तियों का व्यौरा :

टिप्पणी 1 : संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विरतार को भी उपदर्शित किया जाना है।

टिप्पणी 2 : निक्षेप/विनिधान की दशा में, कम सं., रकम, निक्षेप की तारीख, स्कीम, बैंक/ संस्थान और शाखा के नाम सहित व्यौरा दिया जाना है।

टिप्पणी 3 : वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की बात स्टॉक एक्सचेंज में और असूचीबद्ध, कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार बंधपत्र/डिवेंचर का मूल्य।

टिप्पणी 4 : आश्रित का वही अर्थ है जो जैसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के स्पष्टीकरण (V) में उसका है।

निवाचनों का संचालन नियम, 1951

(कानूनी नियम और आदेश)

टिप्पणी 5 : प्रत्येक विनिधान की बाबत सहित रकम व्यौरे पृथक रूप से दिया जाना है।

(क्रम सं.)	विवरण	स्वंय	पति / पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
I	हाथ में रोकड़	25000	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
II	बैंक खातों में निक्षेप के व्यौरे (एफडीआर, अवधि निक्षेप और बचत), वित्तीय संस्थानों, गैर बैंक वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियाँ, में निक्षेप और ऐसे प्रत्येक निक्षेप की रकम	स्टटे बैंक आफ इण्डिया शाखा ग्वालटोली कानपुर में बचत करीब 4500/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
III	बंधपत्रों, डिवेचरों / शेयरों और कंपनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य में विनिधान के व्यौरे और रकम	कुछ नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
IV	एनएसएस, डाकीय बचत बीमा पालिसीयों में विनिधान के व्यौरे और डाक विभाग व बीमा कंपनी के किसी वित्तीय लिखत में विनिधान और रकम	कुछ नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
V	या फर्म, कंपनी, न्यास आदि किसी व्यक्ति आस्तित्व को दिया गया व्यक्तिगत ऋण / अप्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्तियाँ और रकम	कुछ नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
VI	मोटर यान / वायुयान / नाव / जहाज (निर्माण, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि का व्यौरा खरीद के वर्ष और रकम)	मोटर साइकिल यू०पी० ७८ डी०डी० २२९६ अक्टू २०१३ मार्ड रूपया 63,500/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
VII	आमूल्य, बुलियन और मूल्यवान वीचें (भार और मूल्य के व्यौरे)	कुछ नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
VIII	कोई अन्य आस्तियाँ और दावे का मूल्य / व्याज	कुछ नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
IX	स्कल कुल मूल्य	29500/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

ख. स्थावर आस्तियों के व्यौरे :

टिप्पणी 1 : संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना करें।

टिप्पणी 2 : इस रूप विधान में प्रत्येक भूमि या भवन या आपर्टमेंट का अलग से उल्लेख होना चाहिए।

Noteable

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

Aslett

	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्य की तारीख	लागू नहीं होता				
	क्य के समय भूमि की लागत (क्य की दशा में)	लागू नहीं होता				
	विकास निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	लागू नहीं होता				
	विकास निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	लागू नहीं होता				
V	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	लागू नहीं होता				
	अन्य (जैसे सम्पत्ति में हित)	लागू नहीं होता				
	ऊपर (i) व (v) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	लागू नहीं होता				

8. मैं लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

(टिप्पणी : कृपया प्रत्येक मद के सामने बैंक, संस्था, आस्तित्व या व्यष्टि के नाम और रकम के अलग-अलग ब्यौरे दे)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति / पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
i	बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं) के ऋण या देय बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम ऋण का प्रकार	इलाहाबाद बैंक सिटीआफिस कानपुर 1,90,000/- 1,30,356/- व्यवसायिक	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	ऊपर उल्लेखित से भिन्न किसी अन्य व्यष्टि / अस्तित्व के ऋण या देय, नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार	कुछ नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	कोई अन्य दायित्व	कुछ नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	दायित्वों का कुल योग	1,30,356/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
ii	सरकार के देय : स्वाक्षरी वास-सुविधा से सम्बन्धित विभाग को देय	कुछ नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	जल प्रदाय से संबंधित विभाग को देय	कुछ नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विद्युत प्रदाय से संबंधित विभाग को देय	कुछ नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	टेलीफोन/मोबाइलों की पूर्ति से संबंधित	कुछ नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

Ansik

निवाचनों का सचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

	विभाग को देय	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	सरकारी परिवहन से संबंधित विभाग को देय (वायुयान और हेलीकाप सहित)	कुछ नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	आयकर देय	कुछ नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	संम्पत्ति कर देय	कुछ नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	सेवा कर देय	कुछ नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	नगरपालिका / संम्पत्ति कर देय	कुछ नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	विक्री कर देय	कुछ नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	कोई अन्य देय	कुछ नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
iii	सरकारी के सभी देयों का कुल योग	कुछ नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
iv	व्यापारी के उल्लेख करें जिसके समक्ष यह लिखित है।	कुछ नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

9. वत्ति या उपजीविका के ब्यौरे।

(क) व्यवसाय

(ख) पति/पत्नी लागू नहीं होता होता है।

10. वत्ति या उपजीविका के ब्यौरे।

फलोर मिल से आठा खरीदकर दुकानों में सप्लाई करते हैं।

(प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे दें, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दें वह वर्ष का ब्यौरा दे जिसमें पादक्रम पूरा किया गया था।)

शिक्षा	वर्ष	स्कूल/कालेज	बोर्ड/विश्वविद्यालय
हाई स्कूल	2003	काइस्ट चर्च इंटर कालेज कानपुर	यूपी बोर्ड इलाहाबाद
इण्टरमीडिएट	2005	रामधनी मौर्य इंटर कालेज कौशाम्बी	यूपी बोर्ड इलाहाबाद
बी०ए० फाइनल	2009	बी०ए०ए०डी० पी०जी० कालेज कानपुर	सीठ एस० जै०ए०० विश्वविद्यालय कानपुर
एम०बी०ए० फाइनल	2011	इस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट	सीठ एस० जै० एम० विश्वविद्यालय कानपुर

भाग - ख

भाग—ख

(11) भाग (क) के (1) से (10) में दिए गए व्योरे का सारः

1	अम्बर्थी का नाम	श्री आशीष कुमार पाण्डेय
2	डाक का पूरा पता	12 / 166 रवालटोली कानपुर नगर
3	निवाचक क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	कानपुर उन्नाव स्नातक निवाचन क्षेत्र, उ0प्र0
4	राजनीतिक दल का नाम जिसने अम्बर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा निर्दलीय लिखें)	निर्दलीय
5	(i) लम्बित मामलों की कुल संख्या जहाँ न्यायालय द्वारा दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए हैं।	लागू नहीं होता है।
	(ii) लम्बित मामलों की कुल संख्या जहाँ न्यायालय/न्यायालयों ने संज्ञान लिया है, ऊपर मद (1) में उल्लिखित मामलों से भिन्न।	1
6	उन मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्ध और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध किया गया है इलोक प्रतिनिधित्व अधिकानय, 1951, कीधारा 8 की उपधारा उपधारा (1) उपधारा(2) और उपधारा(3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय	लागू नहीं होता है

निवाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

7		का स्थायी खाता संख्या (पीएन)	वर्ष जिसमें अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गयी है	दर्शाई गई कुल आय
	(क) अम्बर्थी	AUEPP 8031A	2016-2017	2,66,619/-
	(ख) पति या पत्नी	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(ग) आश्रित	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	आस्तियों और दायित्वों के रूपयों में व्योरे					
अ	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
	जंगम आस्तिया (कुल मूल्य)	29,500/-	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
आ	स्थावर आस्ति	कुछ नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
I	स्वार्जित स्थावर सम्पत्ति की क्रम कीमत	कुछ नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
II	क्रम के पश्चात स्थावर सम्पत्ति के विकास/निर्माण की लागत (यदि लागू हो)	कुछ नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
III	(क) स्वार्जित आस्तियों (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियों (कुल मूल्य) की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	कुछ नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

Adil

9 :- दायित्व

I	सरकार के देय (कुल)	कुछ नहीं	लागू नहीं होता होता है।			
II	बैंक, वित्तिय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	1,30,356/-	लागू नहीं होता होता है।			

10 :- दायित्व जो विवादग्रस्त है

I	सरकार के देय (कुल)	कुछ नहीं				
II	बैंक, वित्तिय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	कुछ नहीं				

11	उच्चतम शैशिक अर्हता :— एम०बी०ए० सन् 2011 इस्टीट्यूट आफ बिजनेस मैनेजमेन्ट सी०एस०जे०ए० विश्वविद्यालय कानपुर (प्रमाणपत्र/ डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्या शिक्षा के ब्यौरे दें, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दें वह वर्ष का ब्यौरा दे जिसमें पाठ्यक्रम पूरा वि गया था)
----	--

सत्यापन

मैं, कपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित और घोषित करता हूँ कि इस शपथपत्र की अन्तर्वस्तु मेरे सर्वत्र ज्ञान और
विश्वास के अनुसार सत्य व सही है इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है। और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गयी है। मैं
यह भी घोषित करता हूँ कि :—

(क) पूर्वोक्त भाग आ की मद 5 और मद 6 और भाग आ में उल्लेखित से भिन्न किसी मामले में मैं दोषसिद्ध नहीं हुआ हूँ
या कोई मामला मेरे विरुद्ध लंबित नहीं है।

(ख) पूर्वोक्त भाग अ की मद 7 और मद 8 तथा भाग आ के मद 8, मद 9 और मद 10 में उल्लेखित से भिन्न मेरी, मेरे
पति /मेरी पत्नी या मेरे आश्रितों की कोई भी अस्ति या दायित्व नहीं है।

कानपुर नगर स्थान पर आज तारीख 13/01/17 को सत्यापित किया गया


अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

Sworn Before me on the 13th day of 13/01/17
by Sri..... (Signature)
Contents of this document may be read
over and explained to me in English
Verified by Shri.....

Govt. Notary R.S. Nigam